RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-09
September-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i09.056

# महिला श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर शिक्षा का प्रभाव

विकाश कुमार राणा

*शोधार्थी स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा*

**सारांशः**

महात्मा गाँधी ने कहा थाः–"यदि आप एक पुरूष को शिक्षित बनाते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित बनाते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित हैं" भारत के संविधान के 86 वे संशोधन के अनुसार देश में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। सर्व शिक्षा अभियान जिसक लक्ष्य विशेषकर बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे है।

महिला श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में शिक्षा को मील का पत्थर समझा जाता है। नई शताब्दी के वर्ष 2001 को "महिला सशक्तिकरण वर्ष" घोषित किया गया था। यूनेस्को के आंकड़ो से पता चलता है कि शिक्षा विकास में रूपांतरित होती है। इसके अनुसारः:–

1. यदि सभी महिलाएं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर लेती है तो बाल विवाह और बच्चों की मृत्यु दर में छठी भाग के समान और प्रसूति मौतों में दो तिहाई कमी लाई जा सकती है।
2. शिक्षित लड़कियों और युवतियों की से यह अपेक्षा की जा सकती है कि उन्हे अपने अधिकारों की जानकारी अधिक होगी और उनमें अधिकारो का दावा करने का आत्मबिश्वास भी अधिक होगी।
3. शिक्षा से समानता को बल मिलेगा शिक्षा से जनमानस में लाकतंत्र की समझ विकसित करने, सहिष्णुता और उसमें निहित बिश्वास को बढ़ावा देने तथा लोगों को अपने समुदाय की राजनितिक जिंदगी में भागीदारी बनने के लिए प्रेरण प्राप्त हागी।
4. यदि सभी बच्चों की शिक्षा तक समान पहुंच होगी तो अलग 40 वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय में 23 प्रतिशत का इजाफा होगा।

शिक्षा का तात्पर्य मात्र विद्यालय जाने और परीक्षा उत्तीर्ण करने से नहीं है। शिक्षा का अर्थ ही होता है कि मानसिक, शारीरिक, बैचारिक विकास। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार और समाज के सशक्तिकरण का मुख्य कारक है। इसी प्रकार समाज में अगर महिलाएं शिक्षित हागी तो वो सशक्त होगीं और अपने बारे में सही निर्णय ले पाएंगी।

केन्द्र सरकार ने हर व्यक्ति को पढ़ाने के लिए एक मुकम्मल योजना बनाई है और इसे नाम दिया है बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरूआत की बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत फैलाई जा रही जागरूकता से महिलाओं में शिक्षा का प्रसार होने के साथ–साथ समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों का भी खात्मा होगी। यह ऐसी कुरीतियों हैं जो महिलाओं के साथ देश के विकास में भी बाधा हैं। पढ़े लिखे लोग और जागरूक समाज के लोग इस समस्या से अछूता नहीं है। आज हजारों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद लावारिस छोड़ दिया जाता है। भारत में 20 से 24 वर्ष की शादीशुदा औरतों में से 40.5 प्रतिशत की शादियां 18 साल पहले हुई है। इन औरतों में से 22 प्रतिशत ऐसी है जो 18 साल के पहले माँ बनी है। इन कम उम्र की लड़कियों के 67 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। बेंटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान के माध्यम से इस चुनौती का भी सामान किया जा सकेगा। क्योंकि जब बेटियां शिक्षिति हांगी तो उन्हें स्वाबलंबन आएगा तब कन्या भ्रण हत्या जैसी वारदातें नहीं होंगी और नहीं बाल विवाह। ऐसे में महिलाओं के कुपोषण का संकर अपने आप खत्म होने लगेगा। नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन राइट्स यानी एनसीपीआर रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 10से 14 वर्ष तक की ज्यादातार लड़कियों को हर दिन औसतन 8 घंटे से भी ज्यादा समय केवल अपने घर के छोटे बच्चों को संभालने में बिताना पड़ता है।

किसी देश की प्रगति और वास्तविक स्थिति का यदि अध्ययन करना हो तो वहां महिलाओ की शिक्षा का स्तर देखना चाहिए। कई अध्ययनों से यह बात सामने आई है वहां परिवार की बजर में संतुलन होता है और वह परिवार अपेक्षाकृत बेहतर जीवन यापन करता है।

महिला श्रमिकों का सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें आर्थिक और सामाजि स्तर पर सशक्त नहीं किया जाए। इतिहास के विभिन्न काल ख्ंडों में भारतीय महिलाएं आर्थिक रूप से सदा पुरूषों पर निर्भर रहती है और यहीं मानसिकता आज भी कमोबेश समाज की मानसिकता में विद्यमान है। इस मानसिकता की काट निसंदेह शिक्षा में निहित

RRIJM 2015, All Rights Reserved

है। सामान्य रूप से देखें तो श्रमिक महिलाओं को शिक्षित करने से उन्हें एक कापक दृष्टिकोण मिलेगा।

उनमें वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता आएगी इनमें अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता का विकास होगा और इसके माध्यम से वे परिवार और समाज में समान दर्जा प्राप्त करने में सफल होंगी इसके साथ ही उन्हें बेहतर रोजगार आजीविका के साधन और आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने में कठिनाइ नहीं आएगी। फलस्वरूप श्रमिक महिलाओं का शिक्षा के बदौलत आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

आज महिलाओं के सामने जो भी समस्याएं है। इसके पीछे उनकी अज्ञानता, अशिक्षा ही है। एक सामान्य महिला को अपने सामने में कानूनी अधिकार तक पता नहीं होते हैं। महिला हेल्पलाइन, महिला आयोग, धरेलू हिंसा कानून सहित तमाम कानून जो महिला सुरक्षा के लिए बने हैं उन्हें उनकी जानकारी भी नहीं है। उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर लोग उन्हें सामाज में दोयम दर्जा देते हैं। इसी वजह से उनका शोषण होता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट वर्ष 2014 में 'द स्टेट ऑफ द वल्ड चिल्ड्रन 2012' शिर्षक से आई थी जो कि वर्ष 2000 से 2010 तक के आंकड़ों में भारत में बालिकाओं की स्थिति पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की 54 प्रतिशत महिलाए अपने पति द्वारा पिटाई किए जाने को उचित मानती है, जबकि 57 प्रतिशत किशोर भी इसे उचित मानते हैं। क्या कारण है कि आज भी इस तरह के मध्यकालीन साच से हम सभी ग्रसित है। इसके मूल में है उनका पारंपरिक समाजीकरण और शिक्षा।

अशिक्षित महिलाएं शारीरिक और माननिक शोषण का शिकार हो जाती हैं। मानसिक समस्या प्रत्यक्ष रूप से तनाव की देन हैं। जो आगे चलकर क्रोध, चिड़चिड़ापन; कमजोर स्मरण शक्ति, अवसाद, माइग्रेन, अनिद्रा, मृगी, उन्माद हिस्टीरिया और कुंठा जैसे भयंकर रोग को जन्म देती है।

इसमें न केवल महिलाओं की कार्यक्षमता क्षीण होती है बल्कि समस्त एश्वर्य उसें व्यर्थ दिखाई देते हैं। अंत में वह आत्महत्या तक कर लेती है। कुछ गिनी चुनी असंगठित क्षेत्र की दलित ग्रामीण महिलाएं शिक्षित है, तो वह हनिता की भावना के कारण मानसिक यातनाओं को झेलती हैं। कई एक महिलाओं ने हिन्दू देवी–देवताओं के चित्र और मूर्तियॉ सजाए रखी है एवं सुबह–शाम उनकी पूजा करती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि निमूल भ्रम जैसे मानसिक रोग का दरवाजा खट–खटा चुकी हैं। बिहार प्रदेश के ग्रामीणप महिलाओं में उक्त प्रवृति विशेष रूप से देखने को मिलती है।

बिहार राज्य में असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सामाजिक स्थिति की तरह काफी भयावह है। असंगठित खेत्र की ग्रामीणी श्रमिक महिलाएं अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए कृषि कार्य में दिन–रात लगी रहती है। छोटे–छोटे उद्यम तथ कुटीर उधोग में कार्य करके अपनी रोजी–रोटी का जुगाड़ करती है। अगर बिहार सरकार उनकी आर्थिक सिथति को संतोषप्रद करना चाहती है, तो इसके लिए जरूरी है कि उनकी शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने की व्यवस्था की जायें। इसके लिए वयस्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उनके बाल–बच्चों के लिए तरह–तरह की योजनाओं के माध्यम से उन्हे शिक्षाति बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके कौशल का लाभ बिहार राज्य के साथ–साथ देश के लोगों को भी मिल सके और बिहार न्याय के साथ प्रगतिपथ पथ पर आगे बढ़ सकें।

बिहार सरकार ने नव अगस्त 2009 से अनपढ़ महिलाओं को सम्मानित करने के उदेष्यसे 'अक्षर आंचल' योजना आरम्भ किया है। इस योजना के अंतर्गत चालीस लाख असंगठित क्षेत्र की निरक्षर महिलाओं को छः माह के अन्दर साक्षर बनाया जायेगा।

असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के बच्चे–बच्चियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए पिछले दो दशकों से प्रयास किये जा रहे थे। वर्ष 1991 ई0 में बिहार शिक्षा परियोजना शुरू की गई। इसका उधेश्य असंगठित क्षेत्र के महिला श्रमिकों के बच्चे–बच्चियों को प्रारेभिक शिक्षा में शीघ्रता से संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार लाना था। 1994 ई0 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उधेश्य विकेनिद्रत प्रबंधक तथ सामुदायिक सहभागिता पर बल देते हुए जिला आधारित नियोजन के द्वारा सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। अब वे सभी कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान में समाहित हो गये। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2007 तक असंगठित क्षेत्र के सभी बच्चे–बच्चियों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें नीतीश जी के कुशल नेतृत्व में बहुत बड़ी सफलता मिली है। विकास के साथ न्याय ही नीतीश की सफलता की कुंजी है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993/2006 में असंगठित क्षेत्र में शिक्षा के संवैधानिक दायित्व की पूति के लिए पंचायती संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में ग्राम पंचायत की असंगठित क्षेत्र में शिक्षा संबंधी भूमिकाएं अनुच्छेद 22 में वर्णित हैं। इस अनुच्छेद के 13 से 15 बिन्दुओं में यह भूमिका स्पष्ट रूप से वर्णित है। इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम में पंचायती राज संस्थान को औपचारिक एवं अनौपचरिक शिक्षा के संबेध से अधिकार सौंपे गये है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (बिहार सरकार) ने भारत सरकार द्वारा संचालित 'सबला' योजना में उन किशोरियों/लड़कियों को शामिल किया है, जो असंगठित क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं की बेटी है तथा आर्थिक तंगी के कारण विद्याालय में पढ़ नही पाती है। इसके माध्यम से किशोरियों में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं व्यक्तिगत विकास पर विशेष फोकस देने का प्रस्ताव है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved 

बिहार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के बच्चे–बच्चियों को शिक्षित बनाने के लिए बिहार सरकार ने 'ई0–समर्थ' योजना को काफी सक्रियता एवं त्याग की भावना से चला रही है। वस्तुतः 'ई0–समर्थ क्या है इसको भी जानने के बाद ही इस योजना की प्रगति एवं विकास को समझा जा सकता है। ई0–समर्था बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा मध्य विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कम्पयुटर आधारित शिक्षा का कार्यक्रम है। इसके चालू करने का एक खास मकसद यह भी था कि असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के बच्चे–बच्चियां भी इसके माध्यम से आधुनिक समय के आधुनिक विकास को समझने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। बिहार में मई, 2009 से इस कार्यक्रम का संचालन शुरू किया गया है।

बिहार सरकार ने राज्य की दो करोड़ निरीक्षण महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए 300 करोड़ रूप्यें केन्द्र से मांग की है। राज्य के सभी पंचायतों में लोकशिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई और महिला की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दिये जाने की व्यवस्था की गई। इन लोकशिक्षा केंन्द्रों में नव–साक्षर पठन–पाठन एवं सांस्कृतिक कार्य को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था को भी अंजाम दिया गया साक्षरता केन्द्रों का शुभारम्भ।। नवम्बर 2011 को शिक्षा दिवस के अवसर पर किया गया।

महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके इसको ध्यान में रखकर नीतीश जी की सरकार ने 370निजी औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है जिसमें महिला श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसको राज्य के सभी 38 जिलों में लागू कर दिया गया है। नरेगा के माध्यम से भी असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।

पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को हुनर और औजार योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को तेजी से लाभंवित किये जा रहे है।

## निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार प्रदेश की महिला श्रमिकों की सामाजिक एवं आथिर्क स्थित पर शिक्षा का इतना गहरा प्रभाव पड़ रहा है कि बिहार राज्य शिक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य प्रदेशों से प्रतिस्पर्धा में उत्तर गया है। असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों में भी शिक्षित होने की होड़ सी मच गई है। महिला श्रमिकों का पलायन भी रूक गया है। शिक्षा के क्षेत्र में श्रमिक महिलाओं ने तेजी से पैर आगे बढ़ा दिया है। बिहार सरकार की न्याय के साथ विकास की रौशनी में ग्रामिण महिला श्रमिक साक्षरता को तो प्राप्त कर ही रही है साथ–साथ उनके बाल–बच्चे भी पढ़ाई के प्रति काफी अग्रसर हैं फलतः असंगठित, क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर में महान परिवर्तन हो रहे है तथा आने वाले दिनो में बिहार में शिक्षा की प्रगति और तेज होगी, इसकी संभावनाएं काफी प्रबल है।

## संदर्भः


1. कुरूक्षेत्र, जनवरी 2018, सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली पृष्ठ–14 से 16
2. प्रतियोगिता दर्पण, दिसम्बर, 2005, पृ0 890
3. डॉ0 राकेश द्विवेदी–महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं रणनीतियाँ, पूर्वाश, प्रकाशन, भेपाल, 2005, पृ0 186, 199, 200
4. डॉ0 अनिल ठाकुर एवं अनिल कुमार रंजन–महिला कितनी आजाद पृ0–18,20
5. वही, पृ0 140–141


RRIJM 2015, All Rights Reserved 